

प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अरूण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20-04-2021 को श्री पंकज पाण्डेय, थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर, व उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान थाना स्थानीय के सूपाराजा फजिहतवा पुल के पास से जिलाबदर अपराधी राजकूपर लोथ को एक अदद नाजायज कट्टा 12 बोर व एक अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना जोगिया उदयपुर पर मु0अ0सं0 37/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 38/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया, अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का विवरण

1- राजकूपर लोथ पुत्र राजदेव लोथ साकिन कठही थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 90/16 धारा 457/380/411/468 भादवि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- मु0अ0सं0 99/16 धारा 41/411 भादवि0, 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- मु0अ0सं0 37/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- क्र0 सं0 10 /20 धारा 110जी0 सी0आर0पी0सी0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- एन0सी0आर0 नं0 79/20 धारा 323/504 भादवि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6- मु0अ0सं0 71/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 7- मु0अ0सं0 07/20 धारा उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर से जिलाबदर।

बरामदगी का विवरण

1- एक अदद नाजायज कट्टा 12 बोर व एक अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 12 बोर।

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- श्री पंकज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- हे0का0 रमेश यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- का0 शैलेश कुमार शर्मा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6- मु0अ0 आनंद प्रकाश यादव एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 7- मु0अ0 राजीव शुक्ला एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 8- आरक्षी वीरेन्द्र त्रिपाठी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 9- आरक्षी मृत्युंजय कुशवाहा एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 10- आरक्षी पवन तिवारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 11- आरक्षी अखिलेश यादव एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021

कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 20-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3 ,4 व ,5 का उल्लंघन करने वाले 183 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल रू0 62900/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021

मतगणनास्थल ब्रजेश्वरी इंटर कॉलेज बढनी में किए गए बंदोबस्त का संयुक्त रूप से लिया गया जायजा

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए दिशा-निर्देश के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ द्वारा श्री शिवमूर्ति सिंह, उप-जिलाधिकारी शोहरतगढ़ के साथ संयुक्त रूप से मतगणना स्थल ब्रजेश्वरी इंटर कॉलेज बढनी में किये जा रहे बंदोबस्त का जायजा लिया गया, तथा मतगणना के दिन, किये जाने वाले पुलिस प्रबंध की भी समीक्षा की गई और रूट डायवर्जन के संबंध में भी विमर्श किया गया तथा मौके पर मौजूद श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ तथा चौकी प्रभारी बढनी को आवश्यक निर्देश दिए गए। पोलिंग पार्टियां रवाना किए जाने के मकसद से बढनी ब्लॉक पर प्रस्तावित काउंटर आदि के विषय में भी विकास खण्ड अधिकारी बढनी से विचार विमर्श किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021

*शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कोविड-19 के अन्तर्गत चालान *

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही---

आज दिनांक 20.04.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 02 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया व कोविड-19 की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाते हुये मास्क चेकिंग किया गया व आने जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये निर्धारित गाइड लाइन का पालन करने हेतु बताया गया । व बिना मास्क लगाये चल रहे 07 व्यक्तियों से 2000 रुपये का चालान किया गया व थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सेनेटाइज कराया गया । व थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन चेकिंग किया गया जिसमें 06 वाहनो से 5000 रुपये का ई-चालान किया गया ।

..चालान करने वाली पुलिस टीम का विवरण..

उ0नि0 श्री रामभवन पासवान थाना को0 सि0नगर जनपद सि0नगर

उ0नि0 श्री राकेश त्रिपाठी थाना को0 सि0नगर जनपद सि0नगर

उ0नि0 श्री चन्दन थाना को0 सि0नगर जनपद सि0नगर

हे0का0 अर्जुन यादव थाना को0 सि0नगर जनपद सि0नगर

हे0का0 शिवानन्द उपाध्याय थाना को0 सि0नगर जनपद सि0नगर

प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही आज दिनांक 20.04.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़, उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव, उ.नि. राम अवधेश सिंह, का. अशोक पासवान, का. पवन सिंह टीम द्वारा निम्न व्यक्तियों के द्वारा प्रत्याशी माहिरा खातून जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नं. 8 वाहन सं. यूपी 55 टी 2784 छोटा पिकअप प्रचार वाहन पर लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स व ढोलक हरमोनियम रखकर चुनावी प्रचार प्रसार करने व वर्तमान समय में फैल रही महामारी कोविड -19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालन न करने, लाक डाउन व आपदा प्रबन्धन में सरकार द्वारा आदेश निर्देश का पालन न करने जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0. 83/21 धारा 171-H,188,269,270 भा.द.वि. धारा 3 महा.अधि. 51ख आ.प्रबं. पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का विवरण -

1. दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र सत्यदेव त्रिपाठी सा. चरिगवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. गंगाराम पुत्र लालमन सा. सिंहोखा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
3. बच्चूलाल पुत्र बुद्धू सा. पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
4. रामप्रकाश पुत्र रामसमुझ यादव सा. जोबकुण्डा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
5. महाजन पुत्र रज्जाक सा. बरगदवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
6. शत्रुघ्न पुत्र तीरथ सा. सिंहोखा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
7. चन्दन श्रीवास्तव पुत्र मनोज श्रीवास्तव सा. तुलसियापुर चौराहा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

*प्रेस नोट- दिनांक 20.04.2021

“शराब तस्कर गिरफ्तार** ”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावतअपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.04.2021को श्री अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा के नेतृत्व में 1. हे0का0 लालधर प्रसाद 2.कांस्टेबल सौरभ सिंह 01 अभियुक्त के पास से 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 46/21 धारा 60 आबकारी अधि0पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त – 01 शेशराम पुत्र सुखराम निवासी सेमरी थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर*
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. हे0का0 लालधर प्रसाद

2. कांस्टेबल सौरभ सिंह

बरामदगी –

10 लीटर कच्ची शराब*प्रेस नोट दिनांक 20-04-2021*

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-04-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 20-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 452 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 116 वाहनों का चालान व 03 वाहन सीज कर ₹ 173000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-04-2021

थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 20.04.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेशचन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में मा. न्यायालय भेजा गया ।

चेकिंग व बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि.श्री वीरेन्द्र कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ.नि. श्री पारसनाथ सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. उ.नि. श्री नन्दू गौतम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. उ.नि. श्री गणेश कुमार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
6. उ.नि. श्री श्रीराम पाल थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
7. हे.का. ओमबीर यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
8. हे.का. शम्भू यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
9. हे.का. राकेश यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
10. का. सीमान्त यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19-04-2021

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्ता को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में उप जिलाधिकारी महोदय उत्कर्ष श्रीवास्तव इटवा व श्री रमेश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2021 को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01 अभियुक्ता को मु0अ0सं0 41/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

=====

1. रामवृक्ष पुत्र राम उजागीर साकिन बड़हर घाट
थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण- 10 लीटर कच्ची शराब अभियुक्ता के कब्जे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

=====

01. उप निरीक्षक आनंद कुमार
02. हेड कांस्टेबल देवेन्द्र तिवारी
03. कांस्टेबल आलोक यादव

थाना मोहाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों को मास्क वितरण कर किया गया जागरूक ।

[@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@dmsid1](#) [@SpAdditional](#) [@Cdosid1](#)
[@scrawatpps](#) #UPPolice